उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग अनुभाग-1
संख्या-13/2017/2160/60-1-17-21-रिट/03
लखनऊ दिनांकः: 03 अगस्त, 2017

अधिसूचना

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद संख्या ट्रांसफर पिटीशन (सिविल) संख्या 291/2005 श्रीमती सीमा बनाम अश्विनी कुमार में पारित निर्णय दिनांक 14-02-2006, के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा अपने–अपने राज्यों में अनुष्ठापित विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य करने के लिए धर्म को दृष्टि में लाए बगैर जन सामान्य से आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के पश्चात नियमावली अधिसूचित की जाय । जन सामान्य से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के दृष्टिगत यह नियमावली प्रख्यापित की जा रही है।

व्यक्ति के जीवन में विवाह एक महत्वपूर्ण और प्रायः सर्वव्यापी अनुष्ठान है और विवाह की प्रक्रिया एवं रीति पक्षकारों के धर्म एवं विश्वास के अनुसार सम्पन्न होती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में विवाह को पंजीकृत कराने की अनिवार्यता संबंधी कोई नियम विदयमान नहीं है। विवाह का पंजीकरण न होने से प्रभावित व्यक्ति विशेष कर महिलाएं साक्ष्य के अभाव के कारण अपने कानूनी अधिकार से वंचित रह जाती हैं। अनिवार्य विवाह पंजीकरण से राज्य में बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करना भी सुनिश्चित हो सकेगा।

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 के साथ पठित अनुच्छेद 162 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ? उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017? अधिसूचित करते हैं।

उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली-2017

1– संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2-अध्यारोही प्रभाव

यह नियमावली इससे पूर्व इस विषय पर बनायी गयी किन्हीं अन्य नियमावलियों/आदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

3–परिभाषायें

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) महानिरीक्षक का तात्पर्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1908 (अधिनियम संख्या 16, 1908) की धारा 3 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक से है;

(ख) सहायक महानिरीक्षक का तात्पर्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, 1908) की धारा 8 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण सहायक महानिरीक्षक से है;

(ग) उप–निबन्धक का तात्पर्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, 1908) की धारा–6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उप निबन्धक से है और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथानियुक्त व्यक्ति भी है।

(घ) विवाह पंजीकरण अधिकारी का तात्पर्य नियम–5 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्राप्त विवाह पंजीकरण अधिकारी से है;

(ड.) विवाह का तात्पर्य भारत में प्रचलित किसी रीति से संपन्न विवाह से है।

4-महानिबन्धक विवाह पंजीकरण उत्तर प्रदेश, की नियुक्ति

इस नियमावली के प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रेशन अधिनियम,1908 (अधिनियम संख्या 16, 1908) की धारा 3 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, पदेन महानिबन्धक विवाह पंजीकरण उत्तर प्रदेश होंगे।

5-विवाह पंजीकरण अधिकारी की नियुक्ति

इस नियमावली के प्रयोजन के लिए, महानिबन्धक विवाह पंजीकरण उ०प्र० अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत सहायक महानिरीक्षक निबन्धन से अनिम्न स्तर का अधिकारी सम्पूर्ण उ०प्र० में तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(अधिनियम संख्या 16, 1908) की धारा–6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उप निबन्धक अपनी नियुक्ति के जनपद के भीतर पदेन विवाह पंजीकरण अधिकारी होंगे।

6-विवाहों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाना

(1) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात, सम्पन्न प्रत्येक विवाह या पुनर्विवाह, जहाँ विवाह के पक्षकारों में से कोई एक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी हो अथवा विवाह उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अन्दर सम्पन्न हुआ हो, का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि ऐसे विवाह जिनका पंजीकरण भारत के किसी राज्य में प्रवृत्त विवाह पंजीकरण अधिनियम / नियमावली के अधीन किया गया है इस नियमावली के लागू होने के पश्चात इस नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत माने जायेंगे।

(2) ऐसे विवाह जिनका पंजीकरण अभी तक नहीं कराया गया है, इस नियमावली के लागू होने के पश्चात नियम–7 में विहित रीति से कराया जा सकता है। इस नियमावली के लागू होने के पूर्व अथवा पश्चात सम्पन्न विवाह मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि ऐसा विवाह इस नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं कराया गया है।

7-विवाह का पंजीकरण

(1) विवाह के पक्षकार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की विभागीय वेबसाइट पर यथानिर्दिष्ट प्रारूप (अनुलग्नक–1) पर अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रारूप पर विवाह पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करके विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं।

(2) आवेदन पत्र में पति एवं पत्नी के आधार कार्ड नम्बर भरा जाना अनिवार्य होगा। यदि विवाह के पक्षकारों में कोई एक भारत का नागरिक नहीं है तो आवेदन पत्र में उसके पासपोर्ट का विवरण अंकित किया जायेगा तथा पासपोर्ट की प्रति आवेदन पत्र से साथ यथानिर्दिष्ट रीति से अपलोड की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8-विवाह पंजीकरण शुल्क

(1) विवाह अनुष्ठापित होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर विवाह पंजीकरण का शुल्क रूपये 10 देय होगा।

(2) विवाह अनुष्ठापित होने के एक वर्ष की अवधि के पश्चात विवाह के पंजीकरण का शुल्क रू0 50/- देय होगा।

परन्तु अग्रतर प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के पश्चात पंजीकरण के शुल्क में गुणात्मक वृद्धि होती जायेगी और तद्नुसार आगणित धनराशि देय होगी।

उदाहरणार्थ :-

प्रथम एक वर्ष के पश्चात देय शुल्क = रू0 50/-

दो वर्ष के पश्चात देय शुल्क = रू0 50×2=100/-

तीन वर्ष के पश्चात देय शुल्क = रू0 50×3=150/-

और इसी प्रकार आगे भी।

9-पंजीकरण शुल्क की धनराशि का निस्तारण-

विवाह पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क एवं विलम्ब शुल्क तथा अन्य धनराशियाँ पक्षकारों द्वारा सीधे ऑनलाइन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी। महानिबन्धक विवाह पंजीकरण द्वारा ऑनलाइन धनराशि जमा करने की आवश्यक व्यवस्थाएँ संबंधित साफ्टवेयर में करायी जायेंगी।

10-ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

(1) पति एवं पत्नी को स्टाम्प एवं निबन्धन उ०प्र० की विभागीय वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर संगत अभिलेखों को अपलोड करके एवं निर्धारित फीस जमा करने के उपरान्त ऑनलाइन सबमिट करना होगा।

(2) (क) जहाँ विवाह के पक्षकारों के आधार कार्ड के साथ उनके मोबाइल नम्बर जुडे हैं वहाँ पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के सम्बन्ध में आधार कार्ड के सत्यापन के बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वतः ही ऑनलाइन जनरेट हो जायेगा, जिसका प्रिन्टआउट आवेदक स्वयं ही प्राप्त कर सकेंगे।

(ख) मोबाइल नम्बर के साथ आधार कार्ड के न जुडे होने की स्थिति में–

(i) पति– पत्नी विवाह पंजीकरण अधिकारी के समक्ष

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र में दिये गये विवरण की सत्यता स्वीकार करेंगे तथा दोनों अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करेंगे।

(ii) विवाह पंजीकरण अधिकारी, पति एवं पत्नी का अंगुष्ठ चिन्ह लेकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप आधार कार्ड के विवरणों का सत्यापन करेगा।

(iii) उप नियम 2 (ख) (i) व (ii) के आधीन कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिकारी, विवाह के विवरण को ऑनलाइन दर्ज करते हुए पक्षकारों को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा।

(ग) (i) नियम– 7(2) में उल्लिखित दशा में जबकि विवाह का कोई एक पक्षकार भारत का नागरिक नहीं है, पति– पत्नी विवाह पंजीकरण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र में दिये गये विवरण की सत्यता स्वीकार करेंगे तथा दोनों अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड तथा मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(ii) विवाह पंजीकरण अधिकारी, पति एवं पत्नी का अंगुष्ठ चिन्ह लेकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पासपोर्ट तथा आधार कार्ड के विवरणों का सत्यापन करेगा।

(iii) उप नियम 2 (ग) (i) व (ii) के आधीन कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिकारी, विवाह के विवरण को ऑनलाइन दर्ज करते हुए पक्षकारों को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा।

(3) प्रत्येक विवाह से सम्बन्धित प्रविष्टियों की प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए निरन्तर पंजीकरण संख्या ऑनलाइन स्वतः सृजित होंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11-विवाह सम्बन्धी अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाना-

(1) महानिबन्धक विवाह पंजीकरण, उत्तर प्रदेश, विवाह पंजीकरण से संबंधित ऑनलाइन प्राप्त समस्त डाटा यथाविधि सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेंगे।

(2) विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा इस नियमावली के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन पत्रों एवं निर्गत विवाह प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रानिक डाटा के रूप में रखा जायेगा।

12- प्रविष्टियों की तलाशी और उनकी प्रतिलिपि की प्राप्ति-

(1) विवाह के पक्षकार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और इस प्रयोजन के लिए विहित रीति से दस रूपये का शुल्क अदा करके विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र का निरीक्षण कर सकते हैं और नियमावली से संलग्न प्रारूप संख्या-2 में सृजित विवाह प्रमाण पत्र एवं विवरण की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

(2) विवाह के पक्षकारों से भिन्न व्यक्ति, विवाह पंजीकरण के विवरण का निरीक्षण अथवा प्रतिलिपि हेतु संबंधित विवाह पंजीकरण अधिकारी के समक्ष विहित रूप से आवेदन कर सकेंगे। विवाह पंजीकरण अधिकारी, इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में इस बात का समाधान हो जाने पर कि प्रकरण में आवेदनकर्ता के व्यक्तिगत हित एवं अधिकारों का प्रश्न निहित है, ऐसे निरीक्षण या प्रतिलिपि दिये जाने की अनुमति प्रदान करेगा।

13- विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता

राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं जिनमें वैवाहिक स्थिति की सूचना दिया जाना आवश्यक होगा, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात सम्पन्न विवाहों से संबन्धित व्यक्तियों को विवाह पंजीकरण क्रमांक भरा जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन किये जायेगें।

14- महानिबन्धक विवाह पंजीकरण उ०प्र० के दायित्व

इस नियमावली में यथा–उपबन्धित शक्तियों और कृत्यों के क्रियान्वयन की शक्ति–

(1) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों को निर्वहन करना जो कार्यालय के कार्यकलापों के समुचित प्रशासन और इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट उसके दिन–प्रतिदिन के प्रबन्धन के लिए अपेक्षित हों।

(2) समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन और विवाह पंजीकरण अधिकारी की आवश्यक बैठके बुलाना और विवाह पंजीकरण में मामलों की गम्भीरता से समीक्षा करना।

(3) यह सुनिश्चित करना कि नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर किया जा रहा है।

(4) जन सामान्य के मध्य अनिवार्य विवाह पंजीकरण के व्यापक प्रसार एवं प्रचार को विभिन्न साधनों के माध्यम से सुनिश्चित करना।

15- विवाह पंजीकरण अधिकारी के दायित्व

विवाह पंजीकरण अधिकारी के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगेः–

(1) सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के परामर्श और निर्देशानुसार कार्य करना।

(2) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो कार्यालय के कार्यकलापों के समुचित प्रशासन और इस नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट उसके दिन–प्रतिदिन के प्रबन्धन के लिए अपेक्षित हों।

(3) अपनी अधिकारिता क्षेत्र में जन सामान्य के मध्य अनिवार्य विवाह पंजीकरण के व्यापक प्रचार एवं प्रसार को सुनिश्चित करना।

16- विवाह पंजीकरण का निरस्तीकरण

(1) इस नियामवली के अन्तर्गत पंजीकृत विवाह के विवरणों के सम्बन्ध में विवाह के पक्षकारों अथवा हितबद्ध व्यक्ति द्वारा त्रुटि, छद्म रूपेण अथवा गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किये गये विवाह प्रमाण पत्र के विरूद्ध सम्बन्धित जनपद के विवाह पंजीकरण अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) विवाह पंजीकरण अधिकारी ऐसी शिकायत की जाँच करेगा। ऐसी जाँच में किन्हीं व्यक्तियों के बयान तथा सम्यक साक्ष्य प्राप्त किये जा सकेंगे। विवाह पंजीकरण अधिकारी, जाँच कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त त्रुटि, छद्म रूपेण अथवा गलत सूचना के आधार पर पंजीकृत कराये गये विवाह का पंजीकरण निरस्त कर सकता है। विवाह पंजीकरण अधिकारी का यह आदेश किसी सक्षम न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश के अधीन होगा।

17- अपील

(1) विवाह पंजीकरण अधिकारी के किसी निर्णय के विरूद्ध संबंन्धित सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के समक्ष अपील की जा सकती है। ऐसी अपील किसी ऐसे निर्णय की संसूचना के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी, किन्तु संबंन्धित सहायक महानिरीक्षक निबन्धन पर्याप्त आधार पर अपील योजित किये जाने में हुए विलम्ब को माफ कर सकते हैं।

(2) सहायक महानिरीक्षक निबन्धन अपील पर विचार करेंगे और साठ दिनों की अवधि के भीतर संबंन्धित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात विवाह पंजीकरण अधिकारी के निर्णय की या पुष्टि करेंगे अथवा अपील को मंजूर करके आवश्यक साक्ष्य प्राप्त कर यथोचित आदेश पारित करेंगे। उक्त आदेश किसी सक्षम न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश के अधीन होगा।

(3) सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के निर्णय के विरूद्ध महानिबन्धक विवाह पंजीकरण के समक्ष द्वितीय अपील, ऐसे निर्णय की संसूचना के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी। ऐसी अपील पर महानिबन्धक विवाह पंजीकरण का निर्णय किसी सक्षम न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश के अधीन होगा।

18- अभिलेखों को सुरक्षित रखना

महानिबन्धक विवाह पंजीकरण द्वारा ऐसी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिससे कि इस नियमावली के अधीन पंजीकृत विवाह डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे जा सकें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

19- विवाह पंजीकरण अधिकारी, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन तथा महानिबन्धक विवाह पंजीकरण का लोक सेवक होना

प्रत्येक विवाह पंजीकरण अधिकारी, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन तथा महानिबन्धक विवाह पंजीकरण को इस नियमावली के किसी उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करने के लिए व कार्य करते समय भारतीय दण्ड संहिता 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45,1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

20- उन्मुक्ति

इस नियमावली के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने वाले किसी कृत्य के लिए किसी कर्मचारी या अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

21- प्रकीर्ण

(1) इस नियमावली के अन्तर्गत प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु शासन/महानिबन्धक विवाह पंजीकरण द्वारा जारी निर्देशों का वही प्रभाव होगा जो जैसे कि वे इस नियमावली के अधीन ही जारी किये गये हो।

(2) विवाह पंजीकरण हेतु आवंटित क्रमांक को विभागीय वेबसाइट पर अंकित करके निर्गत विवाह प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जा सकता है।

(3) इस नियमावली में संशोधन, परिवर्धन का अधिकार मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित होगा ।

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक-1

प्रारूप संख्या–1

[नियम 7(1) देखिए]

उत्तर प्रदेश सरकार

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग

विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

1- पति का विवरण:-

1- नामः (हिन्दी में) .....(अंग्रेजी में).....
2- आधार कार्ड संख्या-.....
3- आयु-.....(साक्ष्य संलग्न करें)
4- माता का नामः (हिन्दी में) .....(अग्रेजी में).....
5- पिता का नामः (हिन्दी में) .....(अग्रेजी में).....
6- विवाह के समय प्रास्थिति.....
7- जन्म तिथिः .....
8- ई-मेलः ..... मोबाईल नं0-.....
9- राष्ट्रीयताः .....
10- निवास का पताः .....

2- पत्नी का विवरण:-

1- नामः (हिन्दी में) .....(अग्रेजी में).....
2- आधार कार्ड संख्या-.....
3- आयु-.....(साक्ष्य संलग्न करें)
4- माता का नामः (हिन्दी में) .....(अग्रेजी में).....
5- पिता का नामः (हिन्दी में) .....(अग्रेजी में).....
6- विवाह के समय प्रास्थिति.....
7- जन्म तिथिः .....
8- ई-मेलः ..... मोबाईल नं0-.....
9- राष्ट्रीयताः .....
10- निवास का पताः .....

3- विवाह स्थल का विवरण:-

1- विवाह स्थल का पता (हिन्दी में) .....(अंग्रेजी में).....
2- विवाह का दिनांक .....

4- विवाह पंजीकरण हेतु उपनिबंधक कार्यालय का नाम.....

नोटः- यदि माता व पिता दोनो में से कोई ज्ञात नहीं हो, तो संरक्षक का विवरण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक- 2

पति–पत्नी का आधार कार्ड में लिये गये फोटोग्राफ की प्रति

प्रारूप संख्या–2

[नियम 12(1) देखिए]

उत्तर प्रदेश सरकार

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग

विवाह प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र

संख्या.....दिनांक

उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के अधीन विवाह पंजीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के अधीन विवाह पंजीकरण हेतु

श्री ..... (वर का नाम) पुत्र श्री ..... (पिता का नाम एवं माता का नाम) निवासी..... .....(पता उल्लिखित करें,) जन्म तिथि ..... (दिनांक/माह/वर्ष उल्लिखित करें,) आयु ..... वर्ष

एवं

सुश्री..... (वधू का नाम) पुत्री श्री.....(पिता का नाम एवं माता का नाम) निवासी..... (पता उल्लिखित करें,) जन्म तिथि ..... (दिनांक/माह/वर्ष उल्लिखित करें,) आयु ..... वर्ष के द्वारा अपने विवाह के पंजीकरण हेतु दिनांक..... को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह घोषणा की गयी है कि उनके मध्य विवाह दिनांक..... को स्थान..... पर सम्पन्न हुआ है।

यह विवाह उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 के अन्तर्गत क्रमांक .....दिनांक ..... को पंजीकृत किया गया है।

विवाह पंजीकरण अधिकारी

(स्थानीय क्षेत्र का नाम)

नोट- उक्त प्रमाण पत्र वेवसाइट प्रणाली द्वारा स्वतः जनित है। इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । इस प्रमाण पत्र का सत्यापन, प्रमाण पत्र संख्या के आधार पर स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन, भारत की विभागीय वेबसाइट www.igrsup.gov.in पर किया जा सकता है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in